इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 मार्च 2011—फाल्गुन 10, शक 1932

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ. 35-15-2009-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किये जाने का प्रतिषेध किया जावे;

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इन्कार किये जाने की तारीख 1 मार्च, 2011 से 31 मई, 2011 की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं से संबंधित समस्य कार्यों के लिये नियुक्त किये गये कर्मी (पर्सनल).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अलोक रंजन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2011

क्र. एफ. 35-15-2009-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 1 मार्च, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अलोक रंजन, सचिव.

Bhopal, the 1st March 2011

F. No. 35-15-2009-II-C-1.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interet to prohibit refusal to work in the essential service specified in the Schedule below:—

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979) the State Government hererby prohibits refusal to work in the essential service specified in the Schedule with effect from 1st March, 2011 to 31st May, 2011.

SCHEDULE

Personnel appointed for all the work related to the examination of the Board of Secondary Education in the State.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ALOK RANJAN, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.